


कार्यालय अधिष्ठाता::शासकीय स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/19/10371

जबलपुर दिनांक 26/12/2019

संशोधित विज्ञप्ति सूचना

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/राज/19/9748 दिनांक 07/12/2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के एफ 2-2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 के द्वारा जारी म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतगत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ 2019-25-07-आ.प्र.-एक-मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार इस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों में रिक्त पदों की पूर्ति सीधीभर्ती एवं पदोन्नति/सीधीभर्ती द्वारा किया जाना है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27/12/2019 शाम 5:00 बजे के स्थान पर दिनांक 10/01/2020 सायं 05:30 बजे तक किया जाता है, एवं इसके उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर प्रदर्शित की जावेगी।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

जबलपुर दिनांक /12/2019

क्रमांक/स्था/राज/19/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर
2. कार्यालय स्टेनो की ओर।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर